



2026: AHC: 1137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 41434 सन् 2025

भरत सिंह उर्फ मोनू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: - जनार्दन यादव, मणिकांत यादव

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

: - जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए० जी० ए० श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक भरत सिंह उर्फ मोनू की ओर से, पुलिस थाना-गंभीरपुर, जनपद-आजमगढ़ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 109, 3(5) तथा आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 282 सन् 2025 में, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। आवेदक को घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसे उक्त वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तथा वह दिनांक 29.9.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि घायल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में अपने शरीर पर चोटें कारित करने की मुख्य भूमिका सह-अभियुक्त आशीष यादव उर्फ छोटू को आरोपित की है। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है तथा जमानत पर उन्मोचित किए जाने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए० जी० ए० ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का एक प्रकरण निर्मित होता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक, **भरत सिंह उर्फ मोनू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभु को निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।